कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

सेवा में, पत्रांक– 2614 /33–1, दिनांक गोण्डा, दिसम्बर 29 /2023

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

विषयः– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या–FP/UP/ROAD/151936/2022)

संदर्भः– आपका पत्रांक–1571/11–सी– FP/UP/ROAD/151936/2022, दिनॉक 26.12.2022

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर अवगत कराना है कि अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) के 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.588 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 2.48 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर आप द्वारा आपत्तियॉ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा को निर्देशित किया गया। तत्कम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रॉक–1915/33–1, दिनॉक 27.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा द्वारा उपलब्ध कराया गया प्रस्ताव से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर अभिलेख आपकी सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

पत्रॉक– 2614 /अ उक्त दिनॉकित।

प्रतिलिपिः–प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा उनके पत्रॉक–1915/33–1, दिनॉक 27.12.2023 के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)
वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी गोण्डा वन प्रभाग,गोण्डा।

पत्रांक– 1915 /33–1, दिनॉक, गोण्डा, दिसम्बर 29 /2023

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा।

विषयः– जनपद गोण्डा में अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणी बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 51 वृक्षों की पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ0सी0/340 दिनांक 08.09.2023 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी का पत्रांक 1427/11सी0 दिनांक 08.12.2023

महोदय,

विषयांकित प्रकरण के क्रम में इस वन प्रभाग के अन्तर्गत 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 51 वृक्षों से सम्बन्धित है। जिससे सम्बन्धित अभिलेख संलग्न कर आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया है, उत्तरालेख निम्नानुसार है।

क्र0 सं0	आपत्तिया	उत्तरालेख
1	भारत सरकार की आपत्ति सं0–3 के निराकरण के क्रम में संशोधित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन अपलोड नहीं है। अतः संशोधित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल एवं सी0ए0 चेकलिस्ट ऑनलाइन अपलोड करें।	संशोधित सी0ए0 स्थल की के0एम0एल0 फाइल एवं चेकलिस्ट ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं0–5 के निराकरण के क्रम में गोण्डा वन प्रभाग में रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम ऑनलाइन पार्ट–2 के Additonal information detail में अपलोड नहीं की गयी है।	रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम ऑनलाइन पार्ट–2 के Additonal information detail में अपलोड कर दिया गया है।

अतः आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

v. fc
अप-का-कोरे)

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

E. Fede
29/12/23

संख्या.................अ/उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपिः– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी सा0वानिकी वन प्रभाग, अयोध्या को उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

Scanned with CamScanner